368

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1319 / 4-36 दिनांक:देहरादून:: अक्टूबर: 14 2022

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **''नमामि गंगे योजना''** के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु निविदायें **जो ठेकेदार/फर्म देहरादून वन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पंजीकृत /नवीनीकृत हों,** उनसे पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कुरियर/निविदा पेटी में दिनांक **25.10.2022 के सांय 4 बजे** तक आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक **24.10.2022** तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, 5–तिलक रोड, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य का विवरण/ प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। निविदा में दी जाने वाली दरों में जी0एस0टी0 का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक **25.10.2022 को सांय 4.30** बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की **वेबसाईट www.forest.uk.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	बयाना की धनराशि
1.	लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत सौंग क0सं0 2 पौधालय में श्रमिकों हेतु शैड निर्माण कार्य–1सं0	एक माह	7,72,000.00	₹ 1000 + 18% जी0एस0टी0	₹ 15,000.00
2.	लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत सौंग क0सं0 2 पौधालय में ग्रीन हाउस का निर्माण कार्य–1सं0	एक माह	7,23,000.00	₹ 1000 + 18% जी0एस0टी0	₹ 15,000.00
3.	लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत सौंग क0सं0 2 पौधालय में पूर्व निर्मित मिस्ट चैम्बर का जीर्णोद्धार कार्य–1 सं0	एक माह	5,41,600.00	₹ 1000 + 18% जी0एस0टी0	₹ 11,000.00

नोट:– शर्तें एवं प्रतिबन्ध देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

E:\DDun Div B S Rawat Data\E Drive\data27-01-2011\my doc\Tender notice.doc

निविदा की शर्ते

निविदा भेजने से पूर्व निविदादाता निम्न भार्तो को ध्यान से रखकर निविदा दें। किसी भी एक भार्त का पालन ना होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1 निविदायें उन्हीं फर्मों/ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती हैं जो देहरादून वन प्रभाग, देहरादून में वानिकी/ अन्य कार्यों हेतु वित्तीय वर्श 2022–23 के लिये पंजीकृत/नवीनीकृत होने चाहिये।

2 निविदायें पंजीकृत ड़ाक/स्पीड़ पोस्ट/कुरियर/निविदा पेटी में दिनांक 25.10.2022 के सायं 04.00 बजे तक आमत्रिंत की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 24.10.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, 5 तिलक रोड़, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते है। कार्य का विवरण/प्राक्कलन व निविदा की भार्तें उक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को आकर देखी जा सकती है।

3 विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और वह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

4 निविदा लिफाफे के बाहर जिस कार्य हेतु निविदा दी जा रही है, का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।

5 निविदा में स्पष्ट लिखा होना चाहिये कि निविदादाता प्राक्कलन लागत से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक पर कार्य करने को तैयार है। एक मुश्त दरें मान्य नहीं होगीं। ऐसी निविदा निरस्त मानी जायेगी।

6 सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी।

7 निविदा के साथ निविदा में दर्शायी गयी धनराशि नेक जमानत/बयान धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पदनाम पर निरूपित कर संलग्न करना आव यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

8 निविदा के साथ ₹ 100.00 नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹ 1.00 का रसीदी टिकट हस्ताक्षरयुक्त होना अनिवार्य होगा, जिसके पीछे निविदा की शर्तें लगी हों।

9 निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण, आयकर पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

10 ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी न्यूनतम दरें कम से कम एक माह के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि उक्त अवधि मे ठेकेदार को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय बुला लें।

11 निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्यस्थल एवं प्राक्कलन का निरीक्षण भली–भॉति कर लें बाद में किसी प्रकार की शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।

12 निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी वन क्षेत्राधिकारी थानों के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

13 टेण्डर स्वीकृत किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के 7 दिन के अन्दर निविदादाता को कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा की कीमत का 10 प्रति ात धनराशि या इससे अधिक जैसा भी अधोहस्ताक्षरी उचित समझें अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित कर जमानत के रूप में जमा करना होगा तथा प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होगें।

14 निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगें।

15 विभाग कोई भी सामग्री ठेकेदार को देनें के लिए बाध्य नहीं होगा।

16 यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।

17 यदि उच्चधिकारियों द्वारा प्राक्कलन में किसी प्रकार से संशोधन किया जाता है तो वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा अन्तिम भुगतान तद्नुसार ही तुलनात्मक रूप से किया जायेगा।

18 कार्यदेश में दी गयी अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

19 निविदादाता को देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में विभिन्न वानिकी/निर्माण कार्यो का ठेकेदारी व्यवसाय हेतु पंजीकृत होना चाहिए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिए।

20 कार्यो का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात सन्तोषजनक होने पर किया जायेगा।

21 निर्माण मे जो भी मलवा आदि स्थल पर आयेगा उसको ठेकेदार को स्वयं हटाना होगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।

22 भाासनादेश के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर व स्टाम्प भाुल्क देना होगा जिसकी कटौती ठेकेदार के भुगतान से की जायेगी।

23 निविदादाता को निविदा में अपना पूरा पता, पिता का नाम, दूरभाश संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेशित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तदायी नहीं होगा।

24 ठेकेदार को निर्माण सामग्री पर देय रायल्टी/चूँगी आदि का भुगतान अपने खर्च पर करना होगा। विभाग द्वारा रायल्टी से संबंधित रवन्ने मांगे जाने पर ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा।

25 किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने पर पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

26 यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

27 यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य असन्तोशजनक किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जफ्त/अपहरीत कर ली जायेगी साथ ही ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड भी किया जा सकता है।

28 ठेकेदार को भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1972 का पूर्णतः अनुपालन करना होगा।

29 अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाय वसूली अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

30 कार्य का निरीक्षण, क्षेत्रीय वन रक्षक/वन दरोगा से लेकर उच्चाधिकारी कर सकते है। कार्य सन्तोशजनक न होने पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पुनः कार्य ठीक करना होगा, अथवा भुगतान काट दिया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

ITGC विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें, DCF 15/10/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
पत्रांक 1319 /4-36 दिनांकःदेहरादूनःअक्टूबरः 14 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2 मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
3 वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4 जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
5 खण्ड विकास अधिकारी, रायपुर, देहरादून।
6 अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
7 समस्त वन क्षेत्राधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8 उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश एवं देहरादून।
9 कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

E:\DDun Div.B-3 Rawat Data\E Drive\data27-01-2011\my doc\Tender notice.doc

(5)